

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंग नंबर-11258\2013)/अलेसे-III/ 339

दिनांक:- 27-05-2022

कार्यालय आदेश

श्री गुरुचरण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (लिंग नंबर-11258) कार्यालय कोषाधिकारी भरतपुर जिनकी जन्म तिथि 16.11.1991 है, का दिनांक 26.04.2022 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 26.04.2022 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.21015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री गुरुचरण सिंह के विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंग नंबर-11258\2013)/अलेसे-III/ 339

दिनांक:- 27-05-2022

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर।
3. कोषाधिकारी भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व.श्री गुरुचरण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. श्री राजेन्द्र सिंह पिता स्व.श्री गुरुचरण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार पता-आइडिया टावर के सामने वाली गली, गांव-कटरा, नदंबई, तहसील-नदंबई जिला- भरतपुर राजस्थान पिन कोड-321602 को प्रेषित कर लेख है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कोषाधिकारी भरतपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/ ए.सी.आर शाखा



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)